



Neutral Citation No.- 2026:AHC:14277

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-45663 वर्ष 2024

वीरे आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अनुज चतुर्वेदी, विवेक मिश्रा

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. श्री घनश्याम, अधिवक्ता श्री विवेक मिश्रा, आवेदक के अधिवक्ता, श्री जय किशन चौरसिया, राज्य के राज्य विधि अधिकारी को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. आवेदक ने मुकदमा लंबित रहने के दौरान धारा 302 भ०द०वि०, थाना-कायमगंज, जिला: फर्रुखाबाद के तहत 2022 के अपराध संख्या-218 में ज़मानत मांगी है।
4. आवेदक की ओर से यह दूसरी ज़मानत याचिका है। इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा 2023 के आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-37203 में पारित दिनांक 26.7.2024 के आदेश द्वारा मुकदमा चलाने के अभाव में पहली ज़मानत याचिका को खारिज कर दिया गया था।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और प्रस्तुत मामले में उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। आवेदक का नाम प्राथमिकी में नहीं है और उसका नाम बाद में दिनेश के बयान में सामने आया है, जिसकी मुकदमे के दौरान अ०सा०-2 के रूप में जांच की गई

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है और उसने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया है और उसे पक्षद्रोही घोषित करने के बाद लोक अभियोजक द्वारा जिरह की गई है।

6. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा है कि प्रस्तुत मामले में आवेदक की दोषसिद्धि की कोई संभावना नहीं है। अ०सा०-3 चश्मदीद गवाह नहीं है और अ०सा०-4 और अ०सा०-5 भी चश्मदीद गवाह नहीं है। आवेदक 30.6.2022 से जेल में बंद है, इस प्रकार, कैद की अवधि ढाई वर्ष से अधिक हो जाती है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

7. राज्य विधि अधिकारी ने जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया है।

8. "जब तक दोषी साबित न हो जाए" का प्रसिद्ध सिद्धांत एक नियम के रूप में जमानत और अपवाद के रूप में कारावास की अवधारणा को जन्म देता है।

9. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को केवल इसलिए नहीं छीना जा सकता है क्योंकि उस व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप लगाया जाता है जब तक कि अपराध एक उचित संदेह से परे स्थापित नहीं हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी का भी जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता तब तक नहीं छीनी जा सकती जब तक कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है, और प्रक्रिया न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए। उक्त सिद्धांत को उच्चतम न्यायालय द्वारा **सर्तेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, (2022) 10 एस.सी.सी. 51** में दोहराया गया है।

10. उपरोक्त दृष्टिकोण को दोहराते हुए, **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 आई.एन.एस.सी. 595** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से इस बात पर जोर दिया है कि कानून के बहुत अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत कि जमानत को सजा के रूप में नहीं रोका जाना चाहिए, को भुलाया नहीं जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि न्यायालयों को इस सिद्धांत को स्वीकार करना चाहिए कि "जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है"।

11. अपर शासकीय अधिवक्ता/राज्य विधि अधिकारी ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति सामने नहीं ला सके जिसके कारण आवेदक को जमानत से इनकार किया जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा किए गए प्रस्तुतियों, अभिलेखों पर साक्ष्य, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक को प्राथमिकी में नामित नहीं किया गया था, इस तथ्य के साथ कि अ०सा०-2 को मुकदमे के दौरान पक्षद्रोही घोषित किया गया था, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम रूप से, न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत आवेदन की अनुमति है।

13. आवेदक- वीर, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज़ आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

- (i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।
- (iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

14. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

15. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगी।

जनवरी 20, 2026

विकास वर्मा

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)